श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–19.01.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 09.30 बजे संपन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
2. श्री रवीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
5. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
7. श्री रोहित राज, सहायक अभियंता, खेल विभाग।
8. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
9. श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना), खेल विभाग।
10. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल विभाग।
11. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग।

कार्यवाही

(1) सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(क) प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित नोटिस बोर्ड लगाये जाने एवं प्राप्त आवेदन से संबंधित एक अलग रजिस्टर में अंकित करने का निदेश दिया गया।

(ख) माननीय मंत्री महोदया से प्राप्त निदेश 'अभ्युक्ति' में अंकित एवं माननीय सांसद, माननीय विधायक/विधान परिषद से प्राप्त पत्र की प्रति अलग–अलग सचिव कोषांग के कम्प्यूटर में अंकित कराये जाने का निदेश दिया गया।

(ग) नालंदा जिला के बिन्द प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण से संबंधित संचिका अविलम्ब उपरस्थापित करने का निदेश दिया गया।

20.1.26

उपरोक्त कार्य का अनुश्रवण श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) आगामी योजनाएँ

(i) माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में सात निश्चय–03 योजना **2025–2030** के अन्तर्गतः–

(क) पटना में खेल सिटी का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई दिसम्बर–2026 तक किया जाना है।

पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी में क्या–क्या सुविधा (Facility) उपलब्ध करायी जाय इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की संचिका का अध्ययन कर, इसके आलोक में अविलम्ब संचिका उपस्थापित किया जाय। तदोपरांत सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को माह मार्च, 2026 तक वास्तुविदीय नक्शा उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) वर्ष 2025–26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रुपये भू–अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें ₹144 करोड़ का भुगतान समाहर्ता, पटना को कराने का आदेश निर्गत है। उपलब्ध कराये गये राशि का अद्यतन स्थिति समाहर्ता, पटना से प्राप्त करें।

उपरोक्त के संबंध में अधतन प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त किया जाय।

(ii) खेल क्लब के गठन की कार्रवाई 31 जनवरी–2026 तक पूर्ण किया जाना है। फरवरी–2026 तक खेल क्लब को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर लिया जाय। खेल क्लब को आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 से खेल क्लब के गठन से संबंधित कितने प्रखंडों/पंचायतों के समाजसेवी एवं आम जनता से विचार–विमर्श किया गया है। इस संबंध में अद्यतन सुझाव विहित प्रपत्र में प्राप्त करने हेतु पत्र शीघ्र भेजा जाय।

(iii) प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में कराये जा रहे निर्माण कार्य एवं प्रमंडल स्तरीय निर्माण कराये जाने वाले खेल अवसंरचनाओं में उत्कृष्टता का केंद्र (Centre of excellence) इस हेतु खेल विधा को चिन्हित करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

उपर्युक्त से संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से प्रतिवेदन हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(iv) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अन्तर्गत स्क्रुटनी का कार्य बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा किया जा रहा है। मार्च–2026 तक यथाशीघ्र कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया कि 15 फरवरी– 2026 तक परीक्षण का कार्य पूर्ण करने तथा 31 मार्च–2026 तक कार्य संपन्न कराने का लक्ष्य दिया गया।

(v) राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करनाः–

विगत वर्ष राज्य अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

- राज्य में महिला एशियन हॉकी प्रतियोगिता–2024, सेपकटाकरा विश्व कप–2025, पुरूष एशियन हॉकी प्रतियोगिता–2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 एवं एशिया रग्बी (अंडर–20) चैम्पियनशिप–2025 आदि का सफल आयोजन किया जा चुका है।

- खिलाड़ियों के प्रतिभा के विकास हेतु ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर (OTC) का स्थापना।

- आगामी वर्षो में निम्नांकित खेल का आयोजन प्रस्तावित हैः–

- वर्ष–2026 में एफ०आई०एच० हॉकी प्री० लीग।

- वर्ष–2028 में नेशनल यूथ गेम्स।
- वर्ष–2030 में विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल खेल।

(vi) प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से कम–से–कम 100 स्टेडियम प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में हो उसकी सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से विमर्श करने का निदेश दिया गया। इस कार्य का अनुश्रवण श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा।

प्रत्येक जिला में जो कार्यशील स्टेडियम है। स्टेडियम के शीघ्र संचालन करने का उच्चस्तीरय निदेश प्राप्त है। इसी कड़ी में जो प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में आउटडोर/इण्डोर स्टेडियम का निर्माण है। इसका भौतिक रूप से निरीक्षण करने का निदेश सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों/शा० शि०/अधीक्षक/उपाधीक्षक को दिया गया।

3. **(i)** पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय स्टेडियम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टेडियम के देख–रेख हेतु एक सफाईकर्मी की प्रतिनियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त के संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ii) राज्य में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों/खिलाड़ियों को चिन्हित करने की कार्रवाई किया जाय ताकि योग्य प्रशिक्षकों/खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण हेतु विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भेजा जा सके।

निर्मित आउटडोर स्टेडियम के उस क्षेत्र में प्रशिक्षित खेल विधाओं में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) को निदेश दिया गया।

(4) प्राथमिकताएँ

(i) विपत्रों का ससमय भुगतान

विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रमाण पत्र दिया जाय कि अबतक कोई भी विपत्र भुगतान हेतु लंबित नहीं है। संचिका के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि सभी का भुगतान हो चुका है।

(ii) आवंटन

(क) सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी–02 द्वारा बजट उपबंध के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये गये स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश सूची तैयार कर संबंधित से उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मांग की जाय।

36 आवंटनों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 24 आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा बताया गया कि 06 उपयोगिता प्रमाण–पत्र आज विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। इस क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी–2 द्वारा बताया गया कि 22 आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ही प्राप्त हुआ है। सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्राप्ति के आधार पर उसकी पुष्टि कर ली जाय।

निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना द्वारा शेष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगले 02 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) <u>उपयोगिता प्रमाण–पत्र</u>

(1) BTC- 42A (TV NO. and Bill No. के साथ)

(2) चेकलिस्ट

(3) Bill/Voucher की छायाप्रति (अभिप्रमाणित)

(4) स्वीकृत्यादेश की प्रति

(5) आवंटनादेश की प्रति

उपरोक्त सभी संबंधित कागजात के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कर्णांकित शीर्षों में उपबंधित बजट को सामान्य बजट के अंतर्गत शामिल करने के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने हेतु श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना) खेल विभाग को निदेशित किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(iii) <u>बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:–</u>

1. विगत वर्षों में आयोजित की गई विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगताओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है। उस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विस्तृत रूप से मदवार एवं एजेंसीवार दी जाय।
2. खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 में उपलब्ध कराई गई राशि का विस्तृत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाय।
3. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय और कम से कम 15–16 स्कूल का क्षेत्र

भ्रमण कर केन्द्रों के संचालन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण कराते हुए प्रशिक्षण सुचारू रूप से आरंभ करने की कार्रवाई की जाय।

एकलव्य के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने प्रशिक्षक एवं कितने छात्र/छात्रा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसकी सूची केन्द्रवार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 22 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह 03 और एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जायेगा।

उपर्युक्त के संबंध में निदेश दिया गया कि कुल 25 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटन से मांग की जाय।

संयुक्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा) द्वारा जिला स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, पंचायत खेल मैदान के निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र के आवासन, भोजन, प्रशिक्षण, पठन–पाठन एवं खेल उपस्कर से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं से स्वयं वार्त्ता कर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

4. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा उपयोग किये जा रहे खेल प्रशिक्षकों को मासिक भुगतान किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। उसका आकलन नहीं है। उनको एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों में या बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर में उपयोग में लगाया जाय और एक–एक प्रशिक्षकों के कार्य का आकलन किया जाय। कौन–कौन प्रशिक्षक कहाँ क्या काम कर रहें हैं? उसका लिखित प्रतिवेदन के साथ पी0पी0टी0 के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

5. खेल क्लबों को कार्यशील करने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

6. भारत सरकार के खेल नीति के अनुरूप राज्य खेल नीति का हिन्दी रूपांतरण हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है।

उपर्युक्त के संबंध में श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब हिन्दी भाषा में अनुवाद कराकर मंगवाना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) राज्य खेल अकादमी, राजगीर से संबंधित–

(क) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में साफ–सफाई, रख–रखाव, स्वच्छता एवं सुरक्षा के संबंध में

दिनांक–10.10.2025 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में राज्य खेल अकादमी, राजगीर के रख–रखाव एवं मेंटेनेंस कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने का निदेश दिया गया था।

इस हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ एक बैठक आयोजित किया जाना है। राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा इसका कार्य योजना एवं PPT खेल विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ बैठक आयोजित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय।

(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में पदाधिकारी/कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में

राज्य खेल अकादमी, राजगीर हेतु एक प्रशाखा पदाधिकारी, एक लेखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का प्रतिनियुक्त करना आवश्यक है। इस संबंध में स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(v) MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 5949 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं **अद्यतन फोटोग्राफ** भी **प्रत्येक सप्ताह** अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध निदेश दिया गया कि पिछले दो सप्ताह में कितने पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं डिलिट किया गया, इससे संबंधित सूची के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।

(vi) भू–अर्जन हेतु आवंटन– वर्ष 2025–26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रूपये भू–अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें 144 करोड़ रू0 का भुगतान समाहर्ता, पटना को कराने का आदेश निर्गत है।

सचिव द्वारा पूर्व के बैठक में निदेश दिया गया कि दिनांक–**28.01.2026** पूर्वाह्न–10:30 बजे अद्यतन स्थिति के साथ बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी उपस्थित होंगे।

(5) नियुक्ति से संबंधित अधियाचना

पाँच नियुक्ति नियमावली के आलोक में रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जा चुकी है। अधियाचनाओं के संबंध में आयोगों से अद्यतन स्थिति प्राप्त किया जाय।

क्रीड़ा प्रशिक्षक के रिक्त 379 पदों का पद सृजन के आलोक में 21 खेल विधा का रोस्टर तैयार किया जाय तथा आयोग के पत्र के आलोक में परामर्श भेजने की कार्रवाई की जाय।

(6) खेलो इंडिया से संबंधित मामले

खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 के आयोजन के जिलों यथा– नई दिल्ली, पटना, नालंदा, गया, बेगुसराय एवं भागलपुर को आवंटन दिया जा चुका है। पटना जिला से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी, पटना को इस संबंध में पुनः स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(7) खेल विधेयक

खेल विधेयक (2025) पर विधिक्षा हेतु संचिका महाधिवक्ता कार्यालय, विधि विभाग, बिहार, पटना से खेल विभाग को प्राप्त हो गया है। कार्य का शीघ्र निष्पादन हेतु अनुश्रवण किया जाय।

(8) बैठक के संबंध में

(क) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना एवं राज्य खेल अकादमी, राजगीर के साथ लंबित मामलों का समीक्षा हेतु अगली बैठक **दिनांक–11.02.2026 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 10:00 बजे** आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ख) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के साथ बैठक लंबित मामले के संबंध में अगली बैठक **दिनांक– 11.02.2026 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 10:15 बजे** आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ग) सचिव महोदय द्वारा हॉकी से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ परियोजना निदेशक, वुडको **दिनांक–11.02.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:30 बजे** समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(घ) सचिव महोदय द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, एवं कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के साथ **दिनांक–21.01.2026 (बुधवार) अपराह्न 4:00 बजे** समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(9) <u>सुलभ संगणक</u>

सुलभ संगणक की बाईडिंग प्रति मंत्री महोदया कोषांग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, खेल विश्वविद्यालय, राजगीर, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, खेल विभाग एवं खेल निदेशालय में सुलभ संगणक को भेजे जाने का निदेश पिछले बैठक में दिया गया था। अगली बैठक तक यह सुनिश्चित किया जाय की सभी कार्यालयों में सुलभ संगणक उपलब्ध हो गया है या नहीं?

(10) <u>**खेल क्लब का गठन**</u>– सभी ग्राम/नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0शि0 को पूर्व में निदेशित किया गया।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को अगले दो दिनों के लिए पोर्टल खोलने का निदेश दिया गया।

जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा से कारण–पृच्छा निर्गत करते हुए उन्हें निदेशित किया जाय कि अगले दो दिनों में ग्राम/नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय। इसका अनुपालन श्री अजय कुमार, अवर सचिव द्वारा किया जायेगा।

(11) <u>ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण</u>

(क) 06 पंचायतों में खेल मैदान चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु 02 जिलों यथा– अरवल (04) एवं गया (02) से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलों के जिला पदाधिकारियों को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 5425 ग्राम पंचायतों में 4770 खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, शेष 763 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माण कराने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

जिलावार, प्रखंडवार एवं पंचायतवार खेल मैदानों की सूची शीघ्र तैयार कर जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा० शि० को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(12) आउटडोर स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार

(क) 198 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। 173 प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 25 प्रखण्डों हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदनः–

क्रं0	जिला	प्रखंडों की संख्या	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारंभ नही	निर्माणाधीन/प्रगतिपर	वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत	प्रस्ताव प्राप्त	प्रस्ताव अप्राप्त/मानक अनुरूप भूमि नहीं
1	38	534	257	10	29	46	77	15	125

(i) राज्य के 231 प्रखंडों में कुल 257 आउटडोर स्टेडियम निर्मित है।

(ii) निर्माणाधीन/प्रगति आउटडोर स्टेडियम की संख्या 46 है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में 77 आउटडोर स्टेडियम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iv) 02 आउटडोर स्टेडियम के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

(v) 02 प्रखंडों में दो–दो स्टेडियम निर्माणाधीन है।

जिन आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना को भेजा गया है। उसका प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना को पत्र भेजा जाय तथा सप्ताहिक समीक्षा बैठक में कितने प्राक्कलन लंबित है एवं कितने प्राक्कलन विभाग को भेजा दिया गया है। इससे संबंधित सूची के साथ भी बैठक में निगम, पटना के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) जिन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को स्मार पत्र लिखा जाय।

सभी जिलों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। इसे समेकित करते हुए PPT के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(ग) संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार से जो अच्छी स्थिति में स्टेडियम हो, जिसमें खेल कार्यक्रम शुरू हो सके, उसकी सूची शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(13) <u>जिला स्तरीय खेल भवन–सह–व्यायामशाला</u>

(क) 25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित सूची विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव महोदय द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारी प्रपत्र के माध्यम से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ख) खेल भवन–सह–व्यायामशाला संचालन के संबंध में विहित प्रपत्र विकसित किया जाय। इस प्रपत्र में सूचना जिला खेल पदाधिकारी से प्राप्त कर, इसकी समीक्षा साप्ताहिक बैठक में PPT के माध्यम से की जाय।

(ग) जिन जिलों में खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण हो चुका है, उन जिलों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करें–

I. खेल भवन–सह–व्यायामशाला खेल विभाग के प्रभार में है या कोई अन्य सामग्री या अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

II. खेल भवन–सह–व्यायामशाला की सुरक्षा, रख–रखाव, साफ–सफाई हेतु कर्मी के संख्या एवं उनके भुगतान की क्या स्थिति है।

III. जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय खेल भवन–सह–व्यायामशाला में अधिष्ठापित है या नहीं।

IV. बिजली भुगतान की क्या स्थिति है।

V. सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन, जेनरेटर, वाहन, ट्रेनर, वाटर मशीन है या नहीं।

VI. खेल भवन में खेल सामग्री है या नहीं।

VII. इन सभी के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हेतु एक प्रपत्र तैयार कर ली जाय।

सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन का कंट्रोल सेंटर विभाग को दिये जाने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव करेंगे।

(14) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तर पर खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु भागलपुर, में सरकारी भूमि चिन्हित कर भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु नक्शा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को तैयार कराने का निदेश दिया गया।

जमुई जिला के धोबघट में शुटिंग रेंज के निर्माण हेतु वास्तुविदीय नक्शा उपलब्ध कराने के लिए निगम, पटना को पत्र भेजा जाय।

(15) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(i) मोईनुल हक स्टेडियम

सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA), की अगली बैठक दिनांक– **21.01.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:30** बजे में निर्धारित की गई है। इसकी सूचना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाय।

(ii) बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर पटना का पुर्ननिर्माण

बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना के पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना) को निदेश दिया गया कि योजना की स्थिति कैसी होगी? इसकी गणना कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करेंगे।

(16) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से प्राप्त सभी पत्रों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

विश्वविद्यालय संविधि से संबंधित मामले पर विद्वान महाधिवक्ता के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(17) मानननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

(18) एस.जी.एफ.आई. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि ₹20,00,00,000/- का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिन जिलों से प्राप्त नहीं हुई है। उसकी सूची के साथ निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 2:30 बजे VC के माध्यम से आयोजित विभागिय समीक्षा बैठक में शामिल होने का निदेश दिया गया।

(19) माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई

माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों का सूची तैयार कर लिया जाय।

(20) जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण कार्यक्रम

(क) श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव एवं श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को अवगत करायेंगे।

(ख) प्रत्येक जिला का भ्रमण सहायक निदेशक (युवा) एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा। इन दोनों के साथ सहायक अभियंता रहेंगे।

इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक (युवा)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा) एक दूसरे के अन्तराल पर जायेंगे। निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को संयुक्त सचिव द्वारा अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण निम्न अवसंरचनाओं का करना है:–

1. खेल भवन–सह–व्यायामशाला, भवन
2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र
3. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम
4. नगर एवं ग्राम पंचायत में निर्मित खेल अवसंरचना
5. प्रमण्डल स्तरीय खेल मैदान
6. इण्डोर स्टेडियम
7. एम0आई0एस0
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
9. संबंधित कार्यालय के कर्मियों की सूची।
10. आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि से संबंधित मामले।

क्षेत्र भ्रमण हेतु आने–जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व स्थापना शाखा द्वारा किया जायेगा।

संबंधित जिला के निरीक्षण किये जाने वाले खेल अवसंरचना की सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए खेल अवसंरचनाओं के कार्यकारी एजेंसी को भी उपस्थित रहने हेतु संबंधित को पत्र भेजे जाने के साथ संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को निरीक्षण से संबंधित सूचना भेजी जाय तथा उनसे सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश गया।

(21) **खेल विभाग की वेबसाईट**

खेल विभाग के वेबसाईट पर विभागीय सूचनाओं को अपलोड करने हेतु निम्नवत् निदेश उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को दिया गया–

(क) मंत्रिमंडल से अनुमोदित संलेखों, संकल्पों, दिशानिर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0 प्रबंधक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायेंगी।

(ख) सुलभ संगणक का विभागीय वेबसाईट पर अलग से प्रतीक (ICON) बनाना।

(ग) विभागीय वेबसाईट को सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के तर्ज पर परिष्कृत करना।

(22) सभी प्रशाखा पदाधिकारी निर्गत महत्वपूर्ण पत्रों, दिशानिर्देशों एवं अधिसूचना आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक को अलग से प्रतिलिपि देंगे।

27/1/2026

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024..348/ पटना/दिनांक–28..1../2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/1/2026
सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024..348/ पटना/दिनांक–28..1../2026

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल), /निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/संयुक्त सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा, योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार/ आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/2026
सचिव।